मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि में शाला प्रबंधन समिति की भूमिका का SWOT विश्लेषण

अनिल प्रकाश श्रीवास्तव[1], डॉ. शिरीश पाल सिंह[2], डॉ. एन. सी. ओझा[3]

[1]शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, रायसेन (म.प्र.) भारत

[2]सह प्राध्यापक, महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) भारत

[3]सहायक प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, (RIE-NCERT) भोपाल, (म.प्र.) भारत

सारांश

बच्चों की शिक्षा में उनके माता पिता और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–21 के अंतर्गत शाला प्रबंधन में पालकों और समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक शासकीय विद्यालय और अनुदान प्राप्त विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि के लिये विद्यालय की मानिटरिंग करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण और उसकी संस्तुति करना तथा विद्यालय विकास के लिए प्राप्त राशियों के सही सही उपयोग की निगरानी करना जैसे शाला प्रबंधन समिति के प्रमुख उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये है। प्रस्तुत शोध के माध्यम से शाला प्रबंधन समितियों द्वारा विद्यालय की प्रगति, पठन पाठन प्रक्रिया की निगरानी और उत्तरदायित्वों के निर्वहन का SWOT (सबल पक्ष, कमजोरियां, कार्य करने के बेहतर अवसर तथा कठिनाईयां–चुनौतियां) विश्लेषण किया गया। इस शोध में SWOT विश्लेषण करने के लिए प्रदेश के 9 जिलों के शहरी, अर्द्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित 81 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों की शाला प्रबंधन समितियों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया। शोध के निष्कर्षों में पाया गया कि शाला प्रबंधन समितियां पठन पाठन की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाने और विद्यालयों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। विशेषरूप से ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में उन्हे विद्यालय कार्यकलापों में और अधिक संलग्न करने की आवश्यकता थी। अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में शाला प्रबंधन समितियां अनुसूचित जाति और सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छा कार्य कर रही थीं।

मुख्य शब्द : शाला प्रबंधन समिति, आरटीई, समुदाय की सहभाागिता।

I प्रस्तावना

बच्चों की शिक्षा में उनके माता पिता और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के माता पिता पालक और समुदाय के सदस्य यदि उनकी पढ़ाई लिखाई और विद्यालयों में कराए जा रहे पठन पाठन की ओर समुचित ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है और उनका स्तर उन्नयन होता है।

विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि के लिये विद्यालय में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पाठ्चर्या एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षक एवं शिक्षक की तैयारी, कक्षागत अभ्यास एवं कक्षा प्रक्रियाएं, समय की उपलब्धता (शिक्षण अधिगम का समय) सीखने का मूल्यांकन और विद्यालय प्रबंधन एवं समुदाय का सहयोग आदि गुणवत्ता के विभिन्न आयामों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने में शाला प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009के तहत मध्यप्रदेश में 83890 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में शाला प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं ।

II साहित्य की समीक्षा

शोध एवम् मूल्यांकन दल (2005) ने माना कि शाला प्रबंधन समिति की सकिय भूमिका से विद्यालयों के स्तर में सुधार परिलक्षित हुआ। **गुप्ता (2007)**ने पाया कि सदस्यों को पालक शिक्षक संघ के अधिकार व कर्त्तव्यों की जानकारी नहीं थी तथा पालक शिक्षक संघों की ग्राम स्तर पर शालेय योजना निर्माण में भागीदारी न के बराबर थी। **सिंह,तिवारी (2007)**ने निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन प्राप्ति तथा शाला त्यागी दर कम करने में पालक शिक्षक संघों का योगदान सकारात्मक था। पालक शिक्षक सघ की क्रियाशीलता में अध्यक्ष की योग्यता की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

III शोध समस्या

शाला प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय के विकास और शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए शैक्षिक प्रक्रिया और पठन–पाठन गतिविधियों की निगरानी के प्रयास किये जाते हैं। प्रदेश में विद्यमान भौगोलिक और जनसंख्या आधारित विविधताओं के कारण विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। इसमें शाला प्रबंधन समिति की कार्यशैली, अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता, जागरूकता व रूचि, समुदाय और विद्यालय के साथ उनका सामंजस्य आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस परिप्रेक्ष्य में शाला प्रबंधन समिति द्वारा अपनी भूमिका निर्वहन में उसके सबल पक्षों, कमजोरियों, कार्य करने के बेहतर अवसर तथा कठिनाईयों–चुनौतियों का (SWOT) विश्लेषण करने के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में यह शोध कार्य किया गया।

IV उद्देश्य

विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि में शाला प्रबंधन समिति की भूमिका का SWOT (सबल पक्ष, कमजोरियां, कार्य करने के बेहतर अवसर तथा कठिनाईयां–चुनौतियां) विश्लेषण करना।

V शोध प्रविधि

(क) न्यादर्श – न्यादर्श जनसंख्या में से चुनी गई कुल इकाईयों का समूह है जो समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में समग्र में से चुने हुये एक अंश अथवा इकाई, जो समग्र का प्रतिनिधित्वि करती है या जिसमें समग्र के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं उसे न्यादर्श कहा जाता है। प्रस्तुत शोध कार्य मध्य प्रदेश के 3 संभागों ग्वालियर उज्जैन एवम इन्दौर के क्रमशः ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, इन्दौर, और झाबुआ जिलों के अर्न्तगत आने वाले शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य जनसंख्या की पृष्ठ भूमि वाले क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में किया गया। संभागों का चयन Proportional Random sampling] जिलों का चयन स्तरित प्रतिचयन विधि (Statified sampling) तथा शासकीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन (Random sampling) द्वारा किया गया।

(ख) शोध उपकरण– प्रस्तुत शोध कार्य में शोध उपकरण के रूप में शासकीय प्राथमिक विद्यालय की, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से जानकारी प्राप्त करने के लिये साक्षात्कार अनुसूची, प्रधानाध्यापक एवम् शिक्षकों के लिये साक्षात्कार अनुसूची, अध्यक्ष व सदस्यों से समूह चर्चा का प्रयोग किया गया और शाला प्रबंधन समिति की बैठकों का अवलोकन भी किया गया।विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि (Discriptive Survey Method) का प्रयोग करते हुए शोध उपकरणों को प्रयोग में लाया गया।

(ग) प्रयुक्त सांख्यिकी–मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि में शाला प्रबंधन समिति की भूमिका का SWOT करने के लिये आंकड़ों का विश्लेषण सरल प्रतिशत आधार पर गणना करके किया गया।

VI विश्लेषण एवं परिचर्चा

विश्लेषण एवं परिचर्चा–प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिये शाला प्रबंधन समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो में विद्यालय संचालन और उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की निगरानी प्रमुख है। यह तभी संभव है जब शाला प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शाला प्रबंधन समिति की भूमिका की सही और स्पष्ट जानकारी हो, और वे उसके प्रति जागरूक हों।

(क) शाला प्रबंधन समिति की भूमिका के विषय में जागरूकता–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और विद्यालय प्रबंध तथा गुणवत्ता वृद्धि में उसकी भूमिका को अधिनियम के खण्ड 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व में धारा 21–22 में वर्णित किया गया है। एसएमसी अध्यक्षों से शाला प्रबंधन समिति की भूमिका के प्रति उनकी जानकारी और जागरूकता को ज्ञात किया गया। अध्यक्षों में इस विषय में पर्याप्त जागरूकता पाई गई, सर्वाधिक 85,19 प्रतिशत अध्यक्षों नें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की निगरानी तथा 79.01 प्रतिशत नें विद्यालय की प्रगति के लिए कार्य करने को शाला प्रबंधन समिति की प्रमुख भूमिका बताया।

सारणी 1
एसएमसी की भूमिका के प्रति जागरूकता (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	कुल
1	शिक्षण अधिगम प्रकिया की निगरानी	85ण्19
2	विद्यालय की प्रगति	79ण्01
3	बच्चों की कठिनाईयों का पता लगाना	50ण्62
4	विद्यविद्यालय संचालन में सहयोग	56ण्79

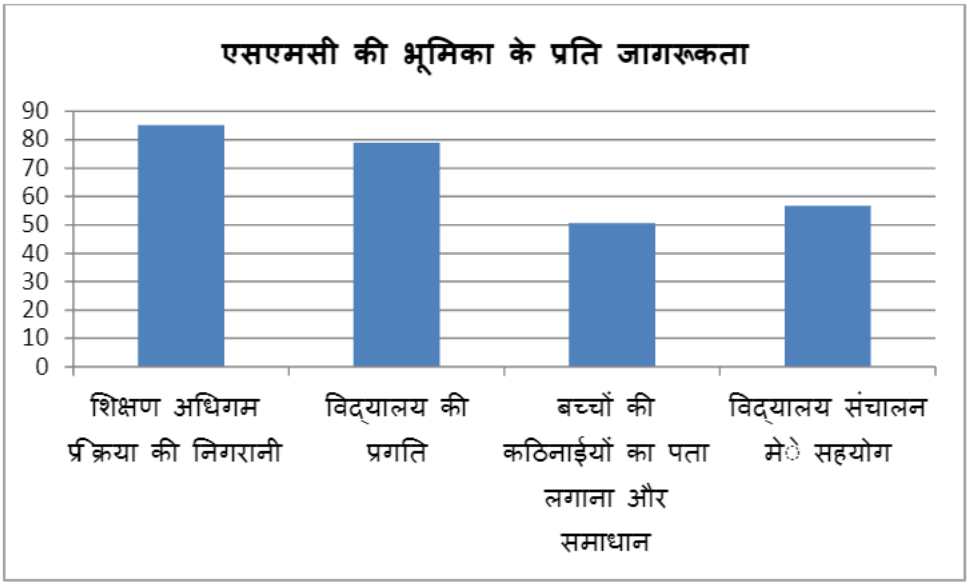

(ख) अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा आधारभूत संरचना व सुविधाओं की निगरानी– शहरी, अर्द्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति आधारभूत संरचना व सुविधाओं की निगरानी के लिए प्राथमिकता के साथ शिक्षकों के एवं विचार विमर्श कर रही थीं । अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में 29,63 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 18,52 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 14,81 प्रतिशत अध्यक्षों के अनुसार वे निगरानी के लिए बच्चों से भी चर्चा करते थे। अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में 22,22 प्रतिशत तथा शहरी, और ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 18,52 प्रतिशत अध्यक्ष स्वयं अवलोकन करके निगरानी कर रहे थे।

सारणी 2

अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा आधारभूत संरचना व सुविधाओं की निगरानी(प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	शहरी	अर्द्ध–शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	शिक्षकों के साथ विचार विमर्श	62.96	48.15	66.67	59.26
2.	बच्चों के साथ चर्चा	18.52	29.63	14.81	20.99
3.	स्वयं अवलोकन करके	18.52	22.22	18.52	19.75

(ग) शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा शाला भ्रमण– शहरी, अर्द्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति के सर्वाधिक सदस्य माह में एक बार विद्यालय का भ्रमण कर रहे थे। वहीं शहरी क्षेत्र के 11,11 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 17,78 प्रतिशत और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में 16,30 प्रतिशत सदस्य समिति की बैठक वाले दिन विद्यालय का भ्रमण कर रहे थे।

सारणी 3

शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय का भ्रमण(प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	शहरी	अर्द्ध–शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	सप्ताह मे एक बार	12.59	13.33	11.85	12.59
2.	माह मे एक बार	78.52	70.37	68.15	72.35
3.	समिति की बैठक वाले दिन	11.11	16.30	17.78	15.06

(घ) विद्यालय में बच्चों के नामांकन हेतु प्रयास–विद्यालय में शत प्रतिशत बच्चों का नामांकन करवाना और उसकी निगरानी करना शाला प्रबंधन समिति का प्रमुख दायित्व है। अनु जाति जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक 44,44 प्रतिशत अध्यक्ष ग्राम व बसाहट में सम्पर्क करके नामांकन हेतु प्रयास कर रहे थे। जबकि अनु,जनजाति और सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्रमशः 37.04 प्रतिशत अध्यक्ष पालकों के साथ बैठक करके नामांकन में सहयोग कर रहे थे।

सारणी 4

शाला प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय में बच्चों के नामांकन हेतु प्रयास (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	अनु जाति	अनु जनजाति	सामान्य	कुल
1.	शिक्षकों के साथ विचार विमर्श व योजना बनाना	14.81	33.33	29.63	25.93
2.	पालकों के साथ बैठक करना	40.74	37.04	37.04	38.27
3.	ग्राम व बसाहट में सम्पर्क	44.44	29.63	33.33	37.04

(च) शाला प्रबंधन समिति सदस्यसों द्वारा विद्यालय में पठन पाठन की निगरानी–सारणी 5 में शाला प्रबंधन समिति सदस्यों द्वारा विद्यालय में पठन पाठन की निगरानी पर उनके मत को दर्शाया गया है। अनु जाति वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक 48.15 प्रतिशत सदस्य समिति की बैठक में पालकों के साथ चर्चा कर पठन पाठन की निगरानी कर रहे थें जबकि अनु जनजाति और सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 40.47 और 30.37 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार समितिपरीक्षा परिणाम का अवलोकन और समीक्षा के माध्यम से पठन पाठन की निगरानी कर रही थी।

सारणी 5

शाला प्रबंधन समिति सदस्यों द्वारा विद्यालय में पठन पाठन की निगरानी (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	अनु जाति	अनु जनजाति	सामान्य	कुल
1	विद्यालय भ्रमण द्वारा	9.63	6.67	11.85	9.38 M
2	कक्षाओं का अवलोकन करना	5.19	3.70	2.96	3.95
3	समिति की बैठक में पालकों के साथ चर्चा	48.15	35.56	30.26	40.99
4	बच्चों से चर्चा द्वारा	9.63	13.33	15.50	12.84
5	परीक्षा परिणाम का अवलोकन और समीक्षा	27.41	40.74	30.37	32.84

(छ) अध्यक्षों में जागरूकता– शाला प्रबंधन समिति के 79,01 प्रतिशत अध्यक्षों को जानकारी थी कि वे शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं जबकि 20,99 प्रतिशत अध्यक्ष इससे अनभिज्ञ थे।

सारणी 6

शाला प्रबंधन समिति के बारे में अध्यक्षों में जागरूकता (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	कुल
1	हां	79.01
2	नही	20.99

(ज) एसएमसी कीबैठकों में सदस्यों द्वारा सहभागिता–शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों द्वारा सहभागिता के बारे में 91,36 प्रतिशत अध्यक्षों का मत था कि सदस्य कम से कम एक बार सहभागिता अवश्य करते हैं जबकि 8,64 प्रतिशत के अनुसार सदस्य दो बार सहभागिता करते हैं।

सारणी 7

शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों द्वारा सहभागिता (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	कुल
1.	एक बार	91.36
2.	दो बार	8.64

(झ) शाला प्रबंधन समिति द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास–सारणी 8 से स्पष्ट है कि शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 38,27 प्रतिशत अध्यक्ष नामांकन, ठहराव और शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी करते हैं जबकि 32,10 प्रतिशत विद्यालय प्रबंधन और समुदाय का सहयोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 27,16 प्रतिशत के अनुसार शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु वे विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास करते हैं।

सारणी 8

शाला प्रबंधन समिति द्वारा शक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	कुल
1	विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना	27.16
2	विद्यालय प्रबंधन और समुदाय का सहयोग बढ़ाना	32.10
3	शिक्षण अधिगम की निगरानी	1.23
4	नामांकन,ठहराव और शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी	38.27
5	योजनाओं और सुविधाओं का सही समय पर लाभ दिलाना	1.23

(ट शाला प्रबंधन समिति व विद्यालय को समुदाय का सहयोग–अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ समूह चर्चा में पाया गया कि 67,90 प्रतिशत एसएमसी को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा था जबकि 32,13 प्रतिशत स्थानों विद्यालयों में समुदाय का अपेक्षित सहयोग नही था।

सारणी 9

शाला प्रबंधन समिति व विद्यालय को समुदाय का सहयोग (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	कुल
1	हां	67.90
2	नही	32.10

(ठ) शाला प्रबंधन समिति के समक्ष मुख्य चुनौतियां–शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के हेड मास्टर से शाला प्रबंधन समिति के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियों की जानकारी ली गई। 51,25 प्रतिशत हेड मास्टर का मत था कि शाला प्रबंधन समिति को विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक गतिविधियों में समुदाय का सहयोग नही मिल पाता है। वही 25,93 प्रतिशत ने पालकों में जागरूकता का अभाव होना एसएमसी के लिए प्रमुख चुनौती बताई, इसके अतिरिक्त एसएमसी अध्यक्ष और सदस्यों के बीच जानकारियों और सूचनाओं के अभाव तथा समिति और शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल और सामंजस्य न होना भी प्रमुख चुनौती के रूप में निकल कर आया।

सारणी 10

शाला प्रबंधन समिति के समक्ष मुख्य चुनौतियां (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	कुल
1	सामुदायिक सहयोग का अभाव	51.25
2	पालकों में जागरूकता का अभाव	25.93
3	जानकारियां और सूचनाओं का अभाव	16.05
4	समितियों का सक्रिय न होना	-
5	समिति और शिक्षकों के बीच सामंजस्य का अभाव	6.17

(ड) समितिकी बैठकों में महिला सदस्यों द्वारा सहभागिता–समिति की समिति की बैठकों में महिला सदस्यों द्वारा सहभागिता अपेक्षित स्तर की नही थी । 66,67 प्रतिशत अध्यक्षों के अनुसार महिला सदस्यों की उपस्थिति 0 से 1 के बीच रही वही 2 से 3 महिलाओं द्वारा सहभागिता 22,22 प्रतिशत ने स्वीकार की।केवल 11,11 प्रतिशत अध्यक्षों ने बताया कि 4 से 6 महिलाओं द्वारा बैठकों में सहभागिता की गई।'

सारणी 11

शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में महिला सदस्यों द्वारा सहभागिता (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	कुल
1	0.1	66.67 p
2	2 .3	22.22
3	4.6	11.11

(ढा) शालाविकास योजना निर्माण–शाला प्रबंधन समिति का प्रमुख दायित्व विद्यालय की विकास योजना का निर्माण करना है। केवल 38,27 प्रतिशत अध्यक्षों ने प्रतिक्रिया दी कि शाला विकास योजना निर्माण के विषय में उन्हे जानकारी है जबकि 41,97 प्रतिशत को इस विषय में कोई जानकारी नही थी। 19,76 प्रतिशत अध्यक्ष इस विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नही थे।

सारणी 12
शाला विकास योजना निर्माण के विषय में जानकारी (प्रतिशत में)

क्र.	विवरण	कुल
1	हां	38.27 p
2	नही	41.97
3	स्पष्ट रूप से नही कह सकते	19.76

VII संप्राप्तियां

विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि में शाला प्रबंधन समितियों के SWOT विश्लेषण की प्रमुख संप्राप्तियां निम्नलिखित हैं–

VIII सबल पक्ष

(क) आधार भूत संरचना और सुविधाओं के बारे में शहरी क्षेत्र की एसएमसी को अर्द्ध–शहरी और ग्रामीण की तुलना में अधिक जानकारी थी।

(ख) तीनो ही क्षेत्रों में आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और बच्चों के नामांकन के लिए एसएमसी शिक्षकों से विचार विमर्श कर रही थीं।

(ग) अनु जाति, अनु जनजाति और सामान्य जनसंख्या वाले तीनो ही क्षेत्रों में एसएमसी प्रभावी ढ़ंग से अपनी भूमिका निभा रही थी। तीनो ही क्षेत्रों में एसएमसी द्वारा कम से कम एक बार विद्यालय का भ्रमण किया जा रहा था।

(घ) सभी क्षेत्रों मे एसएमसी पालकों के साथ बैठक, शिक्षकों के साथ विचार विमर्श, ग्राम व बसाहट में भ्रमण के रूप में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्दि हेतु मिश्रित प्रयास कर रही थीं। बच्चों के नामांकन के लिए ग्राम व बसाहट में भ्रमण के साथ ही परीक्षा परिणामों के अवलोकन द्वारा शिक्षण और पठन पाठन की निगरानी भी कर रही थीं।

(च) एसएमसी नामांकन, ठहराव और शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विद्यालय प्रबंधन और समुदाय का सहयोग बढ़ाने के प्रयासो द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही थीं।

(छ) एसएमसी तीनो ही क्षेत्रों में अपनी भूमिका के निर्वहन में बच्चों की उपस्थिति, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, मध्याह्न भोजन, निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों और गणवेश का वितरण आदि की निगरानी कर रही थीं।

IX कमजोर पक्ष की कठिनाईयां

(क) शाला प्रबंधन समिति सदस्यों और अध्यक्षों द्वारा बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी के लिए विद्यालय भ्रमण की आवृत्ति तीनों ही क्षेत्रों में माह में केवल एक बार पाई गई ,जो कि कम है।

(ख) शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों और अध्यक्षों में समिति की भूमिका के प्रति जागरूकता और विद्यालय विकास योजना के निर्माण के बारे में जानकारी कम पाई गई।

X चुनौतियां

(क) शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्दि के प्रयासों में समुदाय का अपेक्षित सहयोग न मिल पानाशाला प्रबंधन समिति के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती है।

(ख) शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को शैक्षणिक विषयों व कार्यकलापों की जानकारी कम है साथ ही पालकों और एसएमसी के अध्यक्ष व सदस्यों में असाक्षरता के कारण जागरूकता की कमी विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्दि के प्रयासों में बड़ी चुनौती हैं।

XI कार्य करने के बेहतर अवसर

(क) शाला प्रबंधन समिति की बैठकों, कार्यों और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से शाला प्रबंधन समिति की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता हैं और उन्हे अपनी भूमिका निभाने में सकारात्मक मदद मिलेगी।

(ख) शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाए जाने से समिति को विद्यालय के विकास हेतु निर्णय लेने और समुदाय को प्रेरित करने मे सहायता मिलेगी।

(ग) विद्यालय के प्रबंधन और विकास हेतु शैक्षणिक गतिविधियों और कियाकलापों में सक्रिय भागीदारी के लिए शाला प्रबंधन समिति को प्रभावी, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये जिसमें उन्हे विद्यालय संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाय और अभ्यास कराया जाय,

इस प्रकार से उन्हे अपनी भूमिका के प्रभावी निष्पादन के लिए तैयार किया जा सकेगा। डाइट को शाला प्रबंधन समिति के प्रभावी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी जानी चाहिये।

(घ) शाला प्रबंधन समिति और पालक अपनी बात एक दूसरे के साथ साझा कर सकें और एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें तथा समिति और विद्यालय परिवार के बीच सोहार्द्रपूर्ण संबंध विकसित हों इसके लिए जनशिक्षा केन्द्र और ब्लाक जिला व राज्य स्तर पर उन्हे एक साझा मंच उपलब्ध कराया जाना चाहिये जहां वे अपनी बात रख सकें और पालकों में शाला प्रबंधन समिति और विद्यालय के प्रति उत्सुकता और जागरूकता पैदा हो और वे विद्यालय के प्रबंधन और विकास के लिए कार्य करने हेतु आगे आएं।

XII निष्कर्ष

(क) शहरी क्षेत्रों में शाला प्रबंधन समितियां विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्दि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमसी और समुदाय की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य तीनो ही जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में शाला प्रबंधन समितियां प्रभावी तरीके से अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन कर रही हैं।

(ग) जागरूकता की कमी, शैक्षिक गतिविधियों और विद्यालय संबंधी कार्यों की जानकारी न होने और विद्यालय विकास योजना निर्माण के बिन्दुओं पर स्पष्टता न होने के कारण एसएमसी में उक्त विषयों पर उनकी सहभागिता और संलग्नता कम है।

(घ) समुदाय की अपेक्षित सहभागिता न होना, और महिलाओं की कम संलग्नता विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्दि के प्रयासों में शाला प्रबंधन समिति के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

XIII निहितार्थ

(क) अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमसी और समुदाय के बीच सोहार्द्रपूर्ण संबंध विकसित करने की आवश्यकता है इसके लिए पालकों के साथ निरंतर संपर्क करना एसएमसी में उनकी सहभागिता बढ़ाने में सहायक होगा।

(ख) अनुसूचित जाति, और सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एसएमसी को अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व प्रभावी ढ़ंग से निभाने के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये।

(ग) समुदाय को जागरूक कर विद्यालय के विकास में उनकी भूमिका के प्रति उन्हे प्रेरित करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये जिससे समुदाय विद्यालय की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आए और अपना सहयोग दें।

(घ) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और अभ्यास आधारित बनाया जाना चाहिये। अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसएमसी को अन्य एसएमसी से अपने अनुभव साझा करने के अवसर दिये जाने चाहिये जिससे अन्य एसएमसी भी उनका अनुसरण कर सकें।

संदर्भ

[1] DayaRam.2011.School Management Committee and the Right to Education Act-2009, American India Foundation.

[2] "Effective School Management Committees" CREATE (February 2011)

[3] Empowering Communities, Enhancing Education, Strengthening School Management Committees in India

[4] मध्य प्रदेश जन शिक्षा नियम (2003) राजीव गांधी शिक्षा मिशन मध्य प्रदेश

[5] MHRD.2011. Sarva Shiksha Abhiyan-Framework for Implementation (Based on the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009), Government of India, New Delhi.

[6] Policy Brief: School Management Committee, Success, Challenges and Opportunities (J2014)

[7] राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल (2006-07) पालक शिक्षक संघ प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

[8] School Management Committee: Training module Rajya Shiksha Kendra Bhopal Madhya Pradesh (2014)

[9] The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

[10] SSA Framework for Implementation: Chapter-V (pp.83-91), Chapter-IX (p.137-139)

[11] (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SSA-Frame-work.pdf)

[12] Framework for Implementation of RMSA: Chapter-II (p.7), Chapter- IV (p.65, p.79), Chapter- VI (pp.43-45) & Chapter-VII (pp.53-57)

(http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Framework_Final_RMSA_3.pdf)

[13] NCF-2005: Chapter-II (pp.30-34) Chapter-IV (pp.88-89) (NCF-2005: http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf)

[14] RTE Act-2009: Chapter-III (clause 10 at p.5), Chapter-IV (clause 21, 22 at p.7) &Chapter-VII (clause 35, 38 at pp.10-11)

[15] (http://ssa.nic.in/rtedocs/free%20and%20compulsory.pdf)

[16] http://ssashagun.nic.in/publications.html retrived on 22 8 2017 16:59

[17] http://ssashagun.nic.in/docs/SSA-Framework.pdf retrived on 22.8.2017 17:19